प्राथमिकता@महत्वपूर्ण

संख्या-109/524/84-2-2013-सीपी 49/2000

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव@सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 19 दिसम्बर 2013

विषय दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 को "राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस" के रूप में वृहद कार्यक्रम आयोजित करके मनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया है। भारत सरकार द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर को "राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस" घोषित किया गया है। विगत् कई वर्षो से राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस राज्य सरकार द्वारा समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है। शासन द्वारा आगामी **दिनांक 24 दिसम्बर, 2013** को **"राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस"** मनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपभोक्ताओं को जागरूक किये जाने के संबंध में प्रदेश सरकार के सभी विभागों की सहभागिता ज्यादा उपयोगी एवं फलदायी होगी। अतः कृपया उपभोक्ताओं के हितों के रक्षार्थ एवं उन्हें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में प्रदत्त अधिकारों से परिचित कराने एवं अपने उपभोक्ता हितों की रक्षा करने हेतु जागरूक करने के लिए पूरे सप्ताह विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायें। उपभोक्ताओं के हितों के रक्षार्थ एवं उन्हें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में प्रदत्त अधिकारों से परिचित कराने एवं अपने उपभोक्ता हितों की रक्षा करने हेतु जागरूक करने के लिए सप्ताह भर सभी विभागों द्वारा निम्न कार्यक्रम आयोजित किये जायें :-

(1) सेमिनार, प्रदर्शनी, रैली, पैम्पलेट का वितरण तथा कार्यशालाओं का आयोजन किया जाय और उपभोक्ताओं को आमंत्रित करके उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित सामग्री का वितरण किया जाय।

(2) उपभोक्ताओं के समस्याओ को समाधान करने वाले जिला उपभोक्ता फोरमों के महत्वपूर्ण निर्णयों से उपभोक्ताओं को अवगत कराया जाय।

(3) जनता से संबंधित कार्यो को करने वाले विभागों@उपक्रमों द्वारा खुले सत्र आयोजित करके उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुना जाय तथा उनका निराकरण किया जाय।

....2....

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) दूरदर्शन तथा आकाशवाणी केन्द्रों से उपभोक्ता संरक्षण के संबंध में सप्ताह भर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करायें जायें।

(5) विभिन्न समाचार पत्रों में उपभोक्ताओं के हितों से संबंधित आलेखों का प्रकाशन कराया जाय।

(6) स्कूल, कालेजों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित निबन्ध, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं तथा क्विज प्रोग्रामों का आयोजन करें।

3. अतः अनुरोध है कि कृपया इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सक्रिय भूमिका का निर्वहन करते हुए अपने विभाग@मण्डल के अंतर्गत सभी जनपदों में एक वृहद कार्यक्रम का आयोजन कराना सुनिश्चित करें, जिसमें उपभोक्ता संरक्षण एवं उनके अधिकारों के संबंध में उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हों। जनपद स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी स्कूलों@कालेजों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में इस अवसर पर उपरोक्त उल्लिखित कार्यक्रम का आयोजन जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में आयोजित करायें तथा इस कार्यक्रम की सफलता के लिए उन्हें अपना पूर्ण सहयोग दें।

4. कृपया उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस (दिनांक 24 दिसम्बर) के अवसर पर उपर्युक्तानुसार वृहद कार्यक्रम आयोजित कराने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीपक त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-109/524(1)/84-2-2013, तद्-दिनांक

प्रतिलिपि :-

(1) सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

(2) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कार्यक्रम को राज्य मुख्यालय पर आयोजित किये जाने के संबंध में अपेक्षित समस्त कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने के साथ ही इस संबंध में समस्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम, उ0प्र0 को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करे।

(3) आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

....3....

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया प्रस्तर-2 के बिन्दु संख्या-(4) एवं (5) पर कार्यवाही कराना अपने स्तर से सुनिश्चित करें।

(5) निदेशक, आकाशवाणी, 18 विधानसभा मार्ग, लखनऊ।

(6) निदेशक, दूरदर्शन, लखनऊ ।

(7) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, 7 वालाकदर रोड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया बांट-माप से संबंधित प्रदर्शनी प्रत्येक जनपद में लगाकर आम उपभोक्ताओं को जागरूक करने हेतु तत्संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(8) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

(9) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, जवाहर भवन, लखनऊ।

(10) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, गोखले मार्ग, लखनऊ।

(11) राज्य स्तरीय समन्वयक, भारतीय तेल निगम, कपूरथला अलीगंज, लखनऊ।

(12) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in